

सं. क्यू-14018/100 दिवस/2014-डीडब्लूएस (सांख्यिकी)

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

\*\*\*\*\*

9वाँ तल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,  
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 10 जुलाई, 2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

(ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी)

**विषय : एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत 100 दिवसीय एजेन्डा लक्ष्यों के संबंध में हुई कम प्रगति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)**


महोदय/महोदया,

एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत 100 दिनों के एजेंडे में सभी राज्यों/संघ राज्य सरकारों की प्रगति बहुत कम रही है। चूंकि लक्ष्यों को अगस्त, 2014 के अंत तक पूरा किया जाना है, अतः एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत 100 दिवसीय एजेन्डा लक्ष्यों के संबंध में निम्नांकित कार्यक्रमानुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उपलब्धि की समीक्षा करने हेतु संयुक्त सचिव (जल) श्री सत्यब्रत साहु की अध्यक्षता में तत्काल आधार पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) आयोजित करने का निर्णय लिया गया है:-

| क्र.सं. | दिनांक एवं समय                       | राज्यों का नाम  | राज्यों की संख्या |
|---------|--------------------------------------|---|-------------------|
| 1.      | 14/07/2014<br>(2:30 सायं-5:30 सायं)  | आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम एवं मध्यप्रदेश    | 10                |
| 2.      | 15/07/2014<br>(2:30 सायं -5:30 सायं) | असम, बिहार, केरल, मणिपुर, नागालैण्ड, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम एवं पंजाब                                      | 10                |
| 3.      | 16/07/2014<br>(2:30 सायं -5:30 सायं) | हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह एवं पुदुचेरी | 8                 |

2. तदनुसार आपसे अनुरोध है कि सभी संबंधित अधिकारियों के साथ इस अत्यन्त महत्वपूर्ण वीसी बैठक में उपस्थित होना/भागीदारी को सुगम बनाएँ जिससे कि एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत 100 दिवसीय एजेन्डा लक्ष्यों के संबंध में समीक्षा की जा सके।

भवदीया

  
(संध्या सिंह)

संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)

प्रति सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए:

राज्य एनआरडीडब्लूपी-एमआईएस प्रभारी

प्रत्येक राज्य के मुख्य अभियंता

प्रति : सचिव के प्रधान निजी सचिव(डीडब्लूएस)

संयुक्त सचिव के निजी सचिव (जल)

✓ टीडी (एनआईसी)-वैबसाइट पर डालने के लिए

अवर सचिव (प्रशासन)-सम्मेलन कक्ष आरक्षित करने के लिए